निग0 5975/2018/ अपील/भू-रा0 74

न्यायालय श्रीमान् सदस्य, म0प्र0 राजस्व मंडल ग्वालियर, वृत्त–रीवा म0प्र0

रविशंकर सोनी तनय श्यामलाल सोनी, तहसील–रामपुर नैकिन जिला–सीधी म0प्र0

———निगरानी कर्ता

बनाम

पुरूषोत्तम दास सोनी तनय श्यामलाल सोनी तहसील–रामपुर नैकिन जिला–सीधी म0प्र0

————गैरनिगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश उपखन्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन, जिला सीधी के प्रकरण क्र0259/अपील/2016–2017 आदेश दिनांक 27.06.2018

मान्यवर,

निगरानी कर्ता माननीय अधीनस्थ न्यायालय उपखन्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन, जिला सीधी के प्रकरण क्र0259/अपील/2016–2017 आदेश दिनांक 27.06.2018 से व्यतिथ हो यह निगरानी निम्न आधारो पर प्रस्तुत कर विनयी है कि:–

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि एवं प्रकिया के विपरीत होने से निरस्त योग्य हैं।
2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.06.2018 पारित करने में ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो वरिष्ठ न्यायालय एवं माननीय राजस्व मंडल द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।
3. यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश पारित करते समय प्रकरण का अवलोकन किये बगैर ही आदेश पारित किया है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।
4. यह कि अधीनस्थ तहसील न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा धारा 248 म0प्र0भूराजस्व संहिता के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार महोदय द्वारा विधि एवं प्रकिया व म0प्र0राजस्व संहिता के

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R. 5975- सीधी/18 जिला सीधी

रवि शंकर सोनी विरूद्ध पुरुषोत्तम दास सोनी

1	2	3
18-12-18	1. आवेदक की ओर से श्री जागेन्द्र सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील रामपुर नैकिन के प्रकरण क्रमांक 259/अपील/16-17 में पारित आदेश दिनांक 27-6-18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 6-3-19 को कलेक्टर सीधी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	